कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

क्रमॉक 312 /सां0लि0/2020 दुर्ग, दिनॉक 25 मार्च ,2020

COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमॉक 2913/प्र0जि0म0/2020 दुर्ग, दिनॉक 23.3.2020 के माध्यम से लॉक डाउन से छूट प्राप्त सेवाओं का उल्लेख पैराग्राफ ''स'' अन्तर्गत किया गया है । इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रतिबंध से मुक्त सूची अन्तर्गत क्रमॉक 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 में उल्लिखित अनिवार्य सेवायें जैसे– दवा, चश्मे की दुकान, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान, किराना, ए.टी.एम., गैस, एल.पी.जी., फल एवं सब्ज़ी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अण्डा, पशु चारा के शहर की सीमाओं के भीतर परिवहन पर भी छूट है ।

छूट प्राप्त दुकानों/सेवाओं के संचालन के संबंध में अतिरिक्त आदेश किये जाते हैं, जो निम्नानुसार हैः–

1.	सभी मण्डियॉ, दुकान व ठेले (सब्जी,फल, अनाज, किराना, मटन, मछली)	प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
2.	गैस एजेंसी	प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
3.	बैंकिंग	दोपहर 3:00 बजे तक
4.	डेली नीड्स, किराना, मोबाईल रिचार्ज	प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
5.	मिल्क पार्लर एवं डेयरी	प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक

शेष अन्य छूट प्राप्त सेवाओं पर कोई अतिरिक्त समय बंधन नहीं होगा ।

यह आदेश दिनॉक 26 मार्च, 2020 से प्रभावशील होगा ।

25/3/20

(अंकित आनंद)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग

पृ0क्रमॉक/313/सां0लि0/2020 दुर्ग, दिनॉक 25 मार्च ,2020

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
5. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग,
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम,दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली,
7. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला दुर्ग,
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग/धमधा/पाटन,
9. सर्व उप पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, जिला दुर्ग
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग/धमधा/पाटन,

को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

25/3/20

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग

Scanned by CamScanner